



डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2014/ ५५५

दिनांक : 16.05.2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट,
सिवार, सोहावल,
फैजाबाद।

विषय : महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: सम्ब० 133/सत्तर-6-2014-2(141)/2014 दिनांक: 07 मई, 2014 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, सिवार, सोहावल, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2014 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का संस्था नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो, तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय से अनुमोदित बी०एड० विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उन्हें बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता प्रस्तावों के साथ उक्त से सम्बन्धित तमाम अभिलेख एवं प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, नकल विहीन परीक्षा होने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।
6. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक रूप से पूर्ण करेगी तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव